(50)

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क्रं0 /2016 निगरानी निग - 3101 - II/16

श्री आर.एल. शर्मा 9-9-16

9-9-16

राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी सिद्ध बिहार कालोनी शिवपुरी म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

श्रीमती सुनन्दा पाराशार पत्नि श्री रामकुमार पाराशार द्वारा मुख्त्यारआम रामकुमार पाराशर पुत्र स्व0श्री वेदेहीचरण पाराशर निवासी बाबू क्वॉटर के सामने कमलागंज शिवपुरी म0प्र0 .... .अनावेदक

Resumption आर.एल. शर्मा 9-9-16

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता

विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्र0क्र0 118/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-08-2016।

श्रीमान महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि अनावेदक/अपीलांट द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय शिवपुरी के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी के प्र0क्रं0 12/14—15 अ—3 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 44 म0प्र0भू0रा0 संहिता प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के साथ अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि विधान अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनावेदक को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी द्वारा नोटिस जारी नहीं किया तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अनावेदक जून एवं जुलाई 2015 में भारत में नहीं थी बल्कि अमेरिका में थी तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी द्वारा गलत रूप से आदेश प्राप्त किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 20.07.2015 की जानकारी अनावेदक के मुख्त्यारआम रामकुमार पाराशर जो कि अनावेदक के पति है को दिनांक 06.11.2015 को प्रथम बार तब हुई जब सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्र0क्रं0 24ए/15 इ0दी0 में अनावेदक के मुख्त्यारआम हाजिर हुये उक्त जानकारी मिलने पर अनावेदक की ओर से आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलंब क्षमा किये जाने योग्य है। अनावेदक ने आवेदन स्वीकार कर अपील अन्दर अवधि मान्य करने का निवेदन किया।

2. यह कि आवेदक/रेस्पोडेंट द्वारा अनावेदक के उक्त आवेदन पत्र धारा 5 अवधि विधान अधिनियम का उत्तर प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित तथ्यों को इंकार करते हुये निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी द्वारा अनावेदक की

not pressed

R 3101/11/16 शिवपुरी

आवेदक अधि० श्री आर० एस०

27.12.16

सेंजर उप० अना० सूचित हो। रिकॉर्ड की मांग हो। आवेदक द्वारा बताया गया है कि अब प्रकरण हम चलाना नहीं चाहते हैं। आदेशार्थ

28-12-16

C.F 28.12.16

अवलोकित Not Press 28/12/16

28.12.16

आवेदक अधि० श्री आर० एस० के गर उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस में समाप्त करने का अनुरोध किया। आवेदक अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य